न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 909 दिनांक : 21/07/25

तहसीलदार,
तहसील, रामपुरा डाबडी,
जिला जयपुर।

विषय :—प्रकरण संख्या 121 / 2022 बउनवानी लच्छूराम बनाम राजेश वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 16.07.2025 की पालना बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 121 / 2022 बउनवानी लच्छूराम बनाम राजेश वगै. में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.07.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिकी की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशिघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व डिकी दिनांक 16.07.2025
2. नजरी नक्शा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm.amer.jpr@gmail.com

ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

लच्छूराम बनाम ब्रजेश

नाम न्यायालय

केस संख्या 3795 / 121/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/7/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/7/25 को पेश हो।
	16/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी/वादी की आपत्ति कुर्कजात पर बहस सुनी गई। आपत्ति खारिज किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा लाबी जयपुर से प्राप्त कुर्कजात के कब्जा पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक् से लिखवाया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तहरीरकारी
909
21/7/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 121/2022 वाद प्रस्तुति दिनांक – 11.11.2022

लच्छूराम पुत्र श्री भूरा जाति अहीर निवारी चतरपुरा रोड खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

........वादी

बनाम

1 राजेश पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर
2 गोपाल लाल पुत्र भूराराम जाति अहीर
3 प्रकाश चंद पुत्र कालूराम जाति अहीर
समस्त निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. ललित यादव पुत्र श्री बालचन्द यादव जाति यादव निवासी 89, पांचू बाबा की कोठी गोविन्दपुरा जयपुर।
5. सीता देवी पत्नी अम्बालाल यादव निवासी बडारागा बाड पीथावास कालवाडरोड तहसील व जिला जयपुर।
6. चौथमल शर्मा पुत्र श्री नाथूराम शर्मा निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर। (फौत)
6/1. श्रीमति नान्छी देवी पत्नी स्व० श्री चौथमल
6/2. अक्षय पुत्र स्व० श्री चौथमल
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक आमेर जिला जयपुर।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर। जरिये शाखा प्रबंधक
10. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 16.07.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 3.22 हैक्टेयर वाके ग्राम खोराबीसल पटवार हल्का खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हैं, जो प्रस्तुत वाद में [illegible] हैं। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की [illegible] खातेदारी की भूमियां है जिसमें वादी का 5/16 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज व अंकित है। वादग्रस्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बाहमी रजामंदी से काबिज होकर वादी उक्त आराजी के पूर्व ओर का से दर्शाये आराजी पर काबिज काश्त है एवं मकान बनाकर बोरिंग का निर्माण कर काश्त कर एवं प्राकृतिक उपज उपयोग एवं उपभोग कर लाभान्वित होते एवं सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 6 ने खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

गोपाल लाल प्रतिवादी संख्या 2 से जरिये विक्रय पत्र दावा दायरी के दौरान भूमि क्रय की हैं, जो कि अजनबी क्रेता हैं। अजनबी क्रेता को बिना विभाजन कराये उक्त आराजी में प्रवेश करने का कोई हक व अधिकार नही हैं। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की सहखातेदारी की कृषि भूमि है जिसका आज तक कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ हैं। वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये ही विक्रय व हस्तान्तरण कर मनचाहे स्थान पर अच्छी–अच्छी जमीन पर अजनबी क्रेताओं का कब्जा करने एवं वादी को उनके कब्जे काश्तकी भूमि से वेदखल करने पर आमादा व तत्पर हैं। जिस क्रम में प्रतिवादीगण दिनांक 2/11/2022 को कुछ अनजान व्यक्तियों को साथ लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये जो जमीन को विक्रय करने की बाते कर रहे थे। वादी ने प्रतिवादीगण को कानूनी रूप से विभाजन कराकर भूमि विक्रय करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया तथा वादी को धमकी दी कि वो बिना विभाजन के ही भूमि को विक्रय व हस्तान्तरण करेगें व अच्छी–अच्छी जमीन पर क्रेताओं का मनचाहे स्थान पर कब्जा करायेगें जिस कारण वादी को प्रस्तुत वाद बावत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

बाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 10 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र की मद नंबर 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, राजस्व रिकार्ड के अंकन अनुसार दर्ज होने से स्वीकार है। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से विवादित भूमि नही है। वाद पत्र की मद नंबर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है स्वीकार हैं। उक्त भूमि में मिन उत्तरदाता का भी हक व हिस्सा निहित हैं। वाद पत्र की मद नंबर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार हैं। मिन उत्तरदाता भी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं, तथा अपने हिस्से अनुसार लगान अदा करते आ रहे हैं। वाद पत्र की मद नंबर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नंबर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। उक्त मद में वर्णित दिनांक 2/11/2022 को वादी एवं मिन उत्तरदाता के मध्य किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नही हुई, ना ही मिन उत्तरदाता द्वारा वादी को किसी प्रकार की धमकी आदि दी गई। यदि उक्त भूमि का विधिक विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही हैं। वाद पत्र की मद नंबर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। जैसा कि उपरोक्त मद में वर्णित किया है कि वादी एवं मिन उत्तरदाता के मध्य किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नही हुई ना ही मिन उत्तरदाता द्वारा वादी को किसी प्रकार की धमकी दी गई। मिन उत्तरदाता को उक्त पर कॉलोनी विकसित करने का कोई मकसद नहीं हैं। वाद पत्र की मद नंबर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। मिन उत्तरदाता उक्त भूमि को किसी प्रकार से विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तान्तरण नही करना चाहता है। वाद पत्र की मद नंबर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया, अस्वीकार हैं। वादी मिन उत्तरदाता को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं हैं। वाद पत्र की मद नंबर 9 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नंबर 10 कानूनी होने से जवाब मोहताज नही हैं। वाद पत्र की मद नंबर 11 कानूनी होने से जवाब मोहताज नहीं हैं। वाद पत्र की मद नंबर 12 कानूनी होने से जवाब मोहताज नहीं हैं। वाद पत्र की मद नंबर 13 कानूनी होने से जवाब मोहताज नहीं हैं। वाद पत्र की मद नंबर 14 कानूनी होने से जवाब मोहताज नही हैं। अनुतोष खण्ड "क" के अनुसार यदि वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है शेष खण्ड "ग, घ, ड" अस्वीकार है, वादी मिन उत्तरदाता के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है शेष अनुतोष वादी मिन उत्तरदातागण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 की ओर से जवाब दावा पेश कर मुख्य अनुतोष चाहा की वाद अधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम खोराबीसल पटवार हल्का खोराबीसल तहसील आमेर वर्तमान तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 3.22 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया। एक ही आराजी के संबंध में इस वाद में पहले प्राथमिक डिकी जारी हाने के कारण अन्य वाद संख्या 60/2021 बउनवानी राजेश बनाम गोपाल को दिनांक 28.11.2024 को इस वाद के साथ हमफिता किया गया

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /1761 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। उभयपक्ष को बहस कुर्रेजात हेतू अवसर ... गया। वादी द्वारा आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे मुख्य आपत्ति रही की ... रोड पर कम भूमि दी गई व पीछे कोने की भूमियां दी गई तथा ... तैयार की गई है तथा तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। अतः पुनः कुर्रेजात म... जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 18:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

प्रस्तुत तर्को, कुर्रेजात रिपोट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर के हस्ताक्षर है। तथा उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव मे हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को

के हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर
ाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। वादी द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय
ात. ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया
ना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। अतः ऐसी सुरत में वादी
आपत्ति स्वीकार होने योग्य नहीं है।

अतः दोनो वाद बंटवारे से संबंधित है अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी से
प्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दोनो दावो को निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :—

1. लच्छूराम पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोराबीसल के हिस्से खसरा नंबर 65/1 रकबा 1.007 हैक्टैयर भूमि रहेगी।
2. ललित यादव पुत्र लालचंद यादव हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) निवासी 89 पांच्यावाला की कोठी गोविंदपुरा कालवाड रोड जयपुर, सीता देवी पत्नी अंबालाल यादव हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. बडारामबाढ पीथावास कालवाड रोड तह. व जिला जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 65/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. चौथमल शर्मा पुत्र नाथूराम शर्मा हि. संपूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. प्रकाशचंद पुत्र कालूराम हि. 1/2 राजेश पुत्र कालूराम हि. 1/2 समस्त जाति अहीर (यादव) समस्त राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजावास के हिस्से खसरा नंबर 65/4 रकबा 1.66 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

वाद प्रस्तुति दिनांक – 11.11.2022

नियमित वाद संख्या – 121/2022

लच्छूराम पुत्र श्री भूरा जाति अहीर निवासी चतरपुरा रोड खोरावीसल तहसील आमेर जिला जयपुर। ....वादी

बनाम

1 राजेश पुत्र कालूराम जाति अहीर निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर
2 गोपाल लाल पुत्र भूराराम जाति अहीर
3 प्रकाश चंद पुत्र कालूराम जाति अहीर
समस्त निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. ललित यादव पुत्र श्री बालचन्द यादव जाति यादव निवासी 89, पांचू बाबा की कोठी गोविन्दपुरा जयपुर।
5. सीता देवी पत्नी अम्बालाल यादव निवासी बडारामा बाड पीथावास कालवाडरोड तहसील व जिला जयपुर।
6. चौथमल शर्मा पुत्र श्री नाथूराम शर्मा निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर। (फौत)
6/1. श्रीमति नान्छी देवी पत्नी स्व० श्री चौथमल
6/2. अक्षय पुत्र स्व० श्री चौथमल
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक आमेर जिला जयपुर।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर। जरिये शाखा प्रबंधक
10. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।

.........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दोनो दावो को निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. लच्छूराम पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. मेड खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोराबीसल के हिस्से खसरा नंबर 65/1 रकबा 1.007 हैक्टैयर भूमि रहेगी।
2. ललित यादव पुत्र लालचंद यादव हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) निवासी 89 पांच्यावाला की कोठी गोविंदपुरा कालवाड रोड जयपुर, सीता देवी पत्नी अंबालाल यादव हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. बडारामबाढ पीथावास कालवाड रोड तह. व जिला जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 65/2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

चौथमल शर्मा पुत्र नाथूराम शर्मा हि. संपूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि रहेगी। प्रकाशचंद पुत्र कालूराम हि. 1/2 राजेश पुत्र कालूराम हि. 1/2 समस्त जाति अहीर (यादव) समस्त राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजावास के हिस्से खसरा नंबर 65/4 रकबा 1.66 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.07.2025 को जारी किया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दस्तखत———
ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बवत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना [illegible] एवं राजस्थान [illegible]
(राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के [illegible] प्रकार से विभाजन [illegible] तैयार
किये गये:–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (हैक्टे.)	किस्म	लगान
1.	लच्छूराम पुत्र भूराराम हि. सम्पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार रहिन राज. मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोराबीसल	65/1	1.007	चा.3	17
	कुल किता	01	1.007	चा.3	17
2.	~~[illegible]~~ ललित यादव पुत्र गलचन्द यादव हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) निवासी 89 पांचूवाला की कोठी गोविन्दपुरा कालवाड रोड जयपुर सीता देवी पत्नी झाबरलाल यादव हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. बडारामपुरा बीचावास कालवाड रोड तह. व जिला जयपुर खातेदार	65/2	0.2529	चा.3	4.~~42~~
	कुल किता	01	0.2529	चा.3	4.42
3.	चौथमल शर्मा पुत्र नाथूराम शर्मा हि. सम्पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	65/3	0.3086	चा.3	5.10
		01	0.30	चा.3	5.10
4.	लक्ष्मणचन्द पुत्र कालूराम हि. 1/2 राजेश पुत्र कालूराम हि. 1/2 समान जाति अहीर (यादव) रहिन रहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजावास	65/4	1.66	चा.3	28.22
	कुल किता	01	1.66	चा.3	28.22
	कुन किता 1+2+3+4	04	3.22	चा.3	54.74
NOTE :-	श्रीमान जी उक्त ख. नं. 65 पर [illegible] कलक्टर आमेर मुजफ्फरपुर के आदेश क्रमांक 21/12/202[illegible] तहसीलदार मुण्डोता के आदेश क्रमांक 958/23 दिनांक 03[illegible] नाद सं. 11/2022 में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके [illegible] यथा स्थिति बनाए रखने का स्थगन नोट लगा हुआ है।				

[illegible] 30/4/25 [illegible] 125

उजहुल

[illegible]

[illegible] 30/04/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 18:58:28 IST
Reason: SelfAttested

अन्य गौतविरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर कराये गये और निम्नानुसार हस्ताक्षर गये:—

नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी / प्रतिवादी

प्रकाशचन्द पुत्र डालुराम जाति अहिर (यादव) - [illegible]

अशोक पुत्र भैरूमल जाति [illegible] - अशोक

रामेश्वर पुत्र डालुराम जाति अहिर (यादव)

[illegible]

इस प्रकार आज दिनांक 30/04/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैः—

हस्ताक्षर पटवारी
पटवार मण्डल

हस्ताक्षर
भू.अ.नि.
वृत सोराबी मल
30/4/25

हस्ताक्षर
नायब तहसीलदार

तहसीलदार
तह. रामपुराडाबड़ी जिला, जयपुर
तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न प्रस्तावित नक्शा कुर्रेजात व जमाबन्दीः—

ग्राम :- खोरालीलाल
तह० - रामपुरा डाबड़ी
जिला - जयपुर
पैमाना 1:40 मीटर

" प्रस्तावित डूंगलात नक्शा "

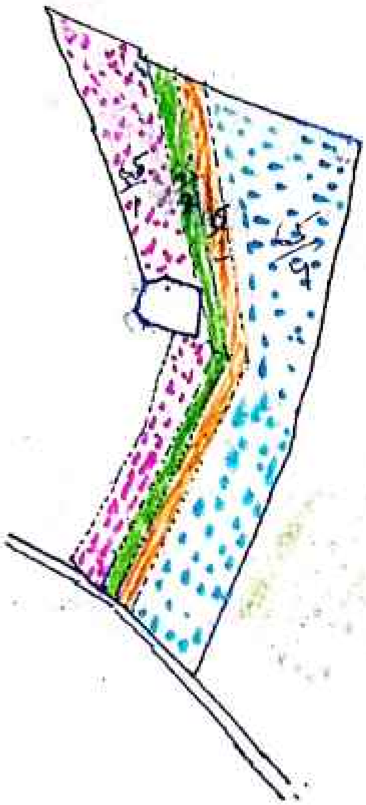

तहसीलदार
तह. रामपुराडाबड़ी जिला, जयपुर

NTDR

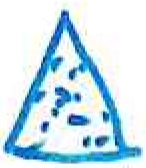

प्रकार — अक्षय पुत्र चौथमल

नम्बर 2124/69 — रकबा

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

SLR
30/4/25

खोरालीलाल
30/04/25